GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO- 94
ANSWERED ON- 31/07/2024

"PROFESSORS OF PRACTICE" IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

*94. DR. JOHN BRITTAS:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether reservation policy is applicable for engagements as "Professors of Practice" in the higher educational institutions recently introduced by UGC as per National Education Policy 2020;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the number of persons belonging to SC, ST and OBC categories engaged as "Professors of Practice" till date or still being engaged in various higher educational institutions; and

(d) the State-wise details thereof?

ANSWER
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (d): A statement is laid on the table of the House.

*****

STATEMENT REFEREED TO IN REPLY OF PARTS (a) to (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 94 FOR 31.07.2024 ASKED BY DR. JOHN BRITTAS, HON'BLE MEMBER OF PARTLIAMENT REGARDING "PROFESSORS OF PRACTICE" IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

(a) to (d): The National Education Policy 2020 seeks to transform higher education by focusing on skill-based education to meet the needs of the industry and the economy. Further, the NEP also recommends integrating vocational education with general education and strengthening industry-academia collaboration in Higher Education Institutes (HEIs). Towards this end, the University Grants Commission (UGC) has taken a new initiative to bring the industry and other professional expertise into the academic institutions through "Professor of Practice". UGC has framed Guidelines for engaging Professor of Practice in Universities and Colleges on 30.09.2022.

The post of Professor of Practice is a temporary post, exclusive of sanctioned post. Further, candidates who have proven expertise in their specific profession or role with at least 15 years of service /experience, preferably at a senior level, are eligible for Professor of Practice. For engaging industry experts and professionals, HEIs may collaborate with the industries to support these positions. It also provides an opportunity, to those in leadership positions in different fields, to come on honorary basis as Professor of Practice so as to give back to the society and contribute towards nation building.

In order to bring in distinguished experts from various fields of engineering, science, technology, entrepreneurship etc. and to develop courses and curriculum to meet the industry and societal needs and to enable the HEIs to work with industry experts on joint research project, concept of Professor of Practice has been adopted, and thereby provide exposure and mentorship to students by domain experts.

The maximum duration of service of Professor of Practice at a given institution should not exceed three years and is extendable by one year in exceptional cases and the total service should not exceed four years under any circumstances.

*****

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-94
उत्तर देने की तारीख-31/07/2024

उच्च शिक्षण संस्थानों में "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस"

94 डा. जॉन ब्रिटास:
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरंभ की गई "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" की नियुक्तियों के लिए आरक्षण नीति लागू होती है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) आज की तिथि तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित कितने व्यक्ति विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" के रूप में नियुक्त हुए हैं या अभी भी नियुक्त किए जा रहे हैं; और
(घ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य डा. जॉन ब्रिटास द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" के संबंध में दिनांक 31.07.2024 पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा में बदलाव लाना है। इसके अलावा, एनईपी में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" नामक पदों की एक नई श्रेणी के माध्यम से उद्योग और अन्य पेशेवर विशेषज्ञता को शैक्षणिक संस्थानों में लाने के लिए एक नई पहल की है। यूजीसी ने दिनांक 30.09.2022 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को नियुक्त करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद एक अस्थायी पद है, जो स्वीकृत पद से अलग है। स्वीकृत पदों पर आरक्षण नीति लागू है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास अपने विशिष्ट पेशे या भूमिका में कम से कम 15 वर्ष की सेवा/अनुभव अधिमानतः वरिष्ठ स्तर के साथ प्रमाणिक विशेषज्ञता है, वे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए पात्र हैं। उद्योग विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान इन पदों को भरने में उद्योगों का सहयोग ले सकते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों को मानद आधार पर प्रैक्टिस प्रोफेसर के रूप में आने का अवसर भी प्रदान करता है, ताकि वे समाज के प्रति योगदान दे सकें तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आदि के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लाने और उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने और उच्च शिक्षण संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजना पर काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अवधारणा को अपनाया गया है, और इस प्रकार छात्रों को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

किसी भी संस्थान में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की सेवा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अपवादात्मक मामलों में इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में कुल सेवा चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

*****

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is a very important question. We all know the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: A Professor is sitting next to you.

DR. JOHN BRITTAS: Yes, Sir. I am influenced and inspired by him. We all know that Dharmendra*ji* is very intelligent, sensible and also part of the global think tank. But I do not know why he is so evasive towards my question. My question has been very simple.

MR. CHAIRMAN: Would you ask your supplementary?

DR. JOHN BRITTAS: This is just to formulate it.

MR. CHAIRMAN: No, please ask supplementary.

DR. JOHN BRITTAS: It is of interest to you also. UGC has started "Professors of Practice".

MR. CHAIRMAN: Hon. Member!

DR. JOHN BRITTAS: My question was that there should be social inclusivity, social orientation for the academics. Is it a fact that when you are reserving ten per cent of the academic posts for "Professors of Practice", will you not bring in the content of reservation for SC/ST and OBC?

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir,that is the question.

MR. CHAIRMAN: Yes, good. Hon. Minister, he paid a compliment and then partly withdrew it. Now, see that it is restored.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, यह प्रजातंत्र है, विपक्ष के कुछ अधिकार हैं। यह स्वाभाविक है कि वे सारे विषयों में सहमत नहीं होंगे, उनका विषय रखने का एक तरीका भी रहता है। विरोधी पक्ष के सदस्य किसी भी तरह से विषय रखें, हमें कोई आपत्ति नही है, हम पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में उत्तर देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, "Professors of Practice", National Education Policy, की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। हमारे देश में आज के समय में सभी के अंदर एक सहमति बनी है कि हमें डिग्री के साथ-साथ competency को भी महत्व देना पड़ेगा। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी यह कहते हैं कि हमारे लिए डिग्री जितनी महत्वपूर्ण है, competency भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा को employability की ओर ले जाना, entrepreneurship की ओर ले जाना - इसीलिए हमारे देश में industry और academia का एक अच्छा संबंध और अच्छा नेटवर्क बने, यह मूल foundational चीज़ है। "Professors of Practice" कोई स्थायी post नहीं है, यह tenure-based post है, कोई 10 per cent reservation नहीं है। कोई व्यक्ति need-based - जैसे जॉन ब्रिटास साहब Mass Communication की एक authority हैं, उनकी एक विद्वता है, वे House में यहां पहुंचे, यहां भी अपनी बात रखने का उन्होंने तरीका बनाया है, जिससे सब प्रभावित होते हैं। क्या वे चाहेंगे कि केरल की कोई university या देश की कोई university चाहे कि जॉन ब्रिटास साहब यहां आएं, credit rating system पर 6 credit point, पर साल में तीन महीने पढ़ा कर जाएं। सर, क्या उन विद्यार्थियों को जॉन ब्रिटास साहब की विद्वता और उनके अनुभव का फायदा नहीं मिलना चाहिए? यह "Professors of Practice", की मूल अवधारणा है। इसमें कोई permanent posting नहीं है, tenure-based, है। सर, पिछले दिनों में ये बातें उठीं कि "Professors of Practice" में किन लोगों की नियुक्ति की गई है। सर, मेरे पास एक जानकारी है। ओडिशा की एक university ने दस tribal लोगों को, जो अनुभवी हैं, 15, 20 और 25 साल का जिनका सामाजिक जीवन है, इन सारे tribal लोगों को उन्होंने Professor of Practice की नियुक्ति दी है। हमें थोड़ा देश को आगे ले जाने के लिए, भले ही मेरी बहन प्रियंका जी को मेरी विद्वता पर हंसी आए और मैं उनकी हंसी का पात्र बनूं, लेकिन हम सब मिलकर इस विषय पर आएं, प्रियंका जी, आप...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी...,

श्री धर्मेंद्र प्रधान : मैं आपकी हंसी का पात्र बनूं, लेकिन इस देश में गुणवत्ता की ओर consensus बनाना पड़ेगा कि सारे हाउस के लोग university, college में जाकर public policy की पढ़ाई अपने कॉलेज में जाकर कराएंगे। मेरे मित्र सस्मित पात्रा जी, आजकल मेरा नमस्कार भी नहीं लेते हैं। ये एक professor हैं। मैं उनको बार-बार समझाता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपने मौसम बदल दिया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, मैं इनसे बार-बार आग्रह करता हूं कि आप जाकर पढ़ाएं। इस राज्य सभा की विद्वता को किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर साझा करें। उनकी पार्टी के सदस्य सुजित कुमार पढ़ाते हैं, वे Professor of Practice हैं। जॉन ब्रिटास साहब ने reservation की बात कही, तो कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं, Indian Express में पढ़ते हैं कि CPI(M) Politburo में भी reservation नहीं है। जॉन ब्रिटास साहब, सारी चीजों में रिजर्वेशन नहीं दिखता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he has made some political statements. I do not know because, he is a very honourable...

MR. CHAIRMAN: I urge you to ask your supplementary so that we can...*(Interruptions)*... Go ahead. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he has made a political statement. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Priyanka*ji*, my problem is that the hon. Minister, instead of looking at the Chair, was looking at you. I am the person who should be taking exception. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. Dr. John Brittas, ask your supplementary.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Priyanka*ji* is coming between hon. Minister and myself, that is very unfortunate. Sir, my second supplementary is this. Hon. Minister should understand that even as per the scheme of UGC, there is a provision for bringing expertise to the campus. There are visiting faculties. You can bring the experts for lectures. Even earlier, UGC used to fund such things. So I would say, उसके लिए कमी नहीं है। Now the point is that almost 26 per cent of the academic posts are vacant and 46 per cent of other posts are vacant now. Now you are reserving another ten per cent.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my supplementary is: When there is unemployment amongst the educated youth and vacancies still exist, don't you think that it is going to create a havoc? Second thing is that there are provisions for internships in industry.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : महोदय, जॉन ब्रिटास साहब के तथ्य सही नहीं है कि कोई existing posts को occupy करें। यह तो अनुभव को accommodate करने की बात है। जहां तक vacancy भरने की बात है, यह एक separate प्रश्न है, लेकिन आपकी अनुमति हो, तो मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि यह continuous process है। इन दिनों भारत सरकार ने पिछले चार-पांच सालों में शिक्षा विभाग में लगभग 40 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति की है। IITs में अनुभवी लोगों को लेकर आना, higher research institutions की देश में परंपरा रही है। इसको और व्यापक करने के लिए यह Professor of Practice एक विनम्र प्रयास है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 3. Shri Sanjeev Arora; not present. Supplementary No. 4; Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, as the hon. Minister has said that these professors of practice bring valuable expertise from relevant industries into the classroom, I agree with that. But, I would like to ask how many women professors of practice are currently employed across Government educational institutions compared to their male counterparts. What mechanisms are in place to ensure that more women are inducted into these positions, particularly, in STEM education sectors, and additionally, are there any guidelines or initiatives in place to encourage the recruitment of professors of practice to fill existing vacancies?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, to fill up the vacancies through Professor of Practice as you have appreciated, to bring expertise all together, bring experience, bring new ideas, we have to go by the Professor of Practice route. Regarding quantum of women, I have an information of 10 personalities, 10 Professor of Practice that out of the 10, 5 are from women category. So, this is up to the need of that particular institution, seeing the aptitude and capacity of the person. The Government has no interference, whether there should be any quantum of any gender. It is open. This is a policy guidance given by UGC. The local universities are competent enough to do that.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri Jawhar Sircar.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, through you, I would like to ask the Minister, a very pertinent question relating to education. As you know, the UGC rules have been made to apply to every organisation that is deemed to be a university. The problem arises when we get non-academic universities like those teaching theatres, those teaching dances and other forms. उसमें क्या होता है, there are people who are specialized in say, electric lighting, in various trades, who are absolutely less qualified. But, throughout the lives, they will be treated in a demeaning manner. Can they avail of this opportunity to be upgraded and deserve the respect of a Professor of Practice? Those technician who have more virtue and more experience in dealing with cultural subjects, can they please be accommodated under such scheme? उन्हें सम्मान दिया जाए।

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं इस सदन के आदरणीय सदस्य जवाहर सरकार का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने अपने सुझाव में और सप्लीमेंटरी क्वेश्चन के माध्यम से professor of practice की डेफिनेशन को reiterate किया, यही उद्देश्य है। सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की पढ़ाई में, जो एप्लाईड पार्ट रहता है, जो प्रेक्टिकल पार्ट रहता है, जिनके बारे में मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था डिग्री सेंट्रिक हो गया है, काम्पिटिंसी बेस्ड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या उन काम्पिटेंट लोगों को भी आप सामाजिक मर्यादा दोगे, एक्जेक्टली सरकार साहब हमारा यही उद्देश्य है। ऐसे सारे अनुभवी लोगों को एक सामाजिक मर्यादा की ओर हम ले जायें। इसी Professor of Practice के उद्देश्य में वह भी एक प्रमुख उद्देश्य है।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 95.